कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1ए/6डी/सैटअप परिवर्तन/16–17 दिनांक 16/10/2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय,
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।

विषय :– 6डी से संबंधित परिवेदनाओं के संबंध में।

प्रसंग :– एस.बी.सिविल याचिका संख्या 14580/18 श्री सत्यप्रसन्न सिंह बनाम सरकार व अन्य एवं 39 याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित समेकित अन्तरिम आदेश दिनांक 26.09.2018 एवं एस.बी.सिविल याचिका संख्या 14580/18 श्री सत्यप्रसन्न सिंह बनाम सरकार व अन्य एवं अन्य 215 याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित समेकित अन्तरिम आदेश दिनांक 11/10/18

उपर्युक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत सम संख्यक पत्र दिनांक 04/10/2018 द्वारा गठित कमेटी जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, सम्बन्धित जिला की परिवेदना प्राप्त करेंगे एवं रजिस्टर संधारित करेगें । जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा समस्त रिकॉर्ड जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक को उपलब्ध करा अध्ययन कर परिवेदना का निस्तारण हेतु सम्पूर्ण रिकॉर्ड संयुक्त निदेशक, संभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर अभ्यावेदनों का स्पीकिंग आर्डर द्वारा निस्तारण करेगें ।

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 11/10/2018 के कम में परिवेदना निस्तारण हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है :–

परिवेदना प्रस्तुत करने की दिनांक	परिवेदना की निस्तारण की दिनांक
22/10/2018 तक	26/10/2018

उक्त के संबंध में आप संबंधितो को निर्देशित किया जाता है कि 6डी की कार्यवाही के संबंध में वरिष्ठता, गलत विषय/श्रेणी में पदस्थापन, पदस्थापन स्थान अथवा अन्य युक्तियुक्त कारण से समायोजित कार्मिकों की परिवेदना बाबत प्राप्त अभ्यावेदनों को 26/10/2018 को नियमानुसार एवं समय–समय पर शासन के प्रदत दिशा–निर्देशों के तहत परीक्षण कर अभ्यावेदन निस्तारण की कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक विधि, जयपुर/जोधपुर को सूचित किया जाना सुनिश्चित करावें। परिवेदना निस्तारित अभ्यावेदन को विभागीय वेबसाईट पर उसी दिन अपलोड करावें। साथ ही उक्त विषयक प्रकरण में दायर याचिकाओं में जिशिअ मा.विधि, जयपुर/जोधपुर से समन्वय रख उन्हें वाछित रिकार्ड संबंधित उच्च न्यायालय पीठ प्रभावी प्रतिरक्षण की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

श्यामसिंह राजपुरोहित
आई.ए.एस.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

नथमल डिडेल
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
4. समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक आयोजित कर निर्धारित दिनांक तक प्राप्त परिवेदनाओं को निस्तारण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
6. समस्त संबंधित याचिकार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे पूर्ण विवरण सहित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते है।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर/जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर